बीस रुपये TWENTY RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEE पाँच रुपये

प्र.क. R- PBR / 2017 (107)

प्रस्तुती दिनांक 03 / 04 / 2017

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. केम्प इन्दौर

P-1213-PBR/17

फुंदाबाई पति स्व. एडु हरिजन मृत तर्फे वारिसान :–
1. संतोष पिता स्व. एडु हरिजन
2. महादेव पिता स्व. एडु हरिजन
3. आशाबाई पिता स्व. एडु हरिजन
सभी निवासीयान ग्राम टेकवा तह. महेश्वर
जिला खरगोन म.प्र.

........निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

डुबसिंग पिता भोलु भील मृत तर्फे वारिसान :–
1. शिवा पिता स्व. डुबसिंग भील
2. मेहताब पिता स्व. डुबसिंग भील
3. बरसिंग पिता स्व. डुबसिंग भील
4. लाड़कीबाई पिता स्व. डुबसिंग भील
5. चतुरबाई पिता स्व. डुबसिंग भील
सभी निवासीयान ग्राम टेकवा तह. महेश्वर
जिला खरगोन म.प्र.

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री आयेद रवान
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 03-04-2017
को प्रस्तुत।
205
03-04-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

.... विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला खरगोन के प्र.क. 3 / अ–23 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2016 से व्यथीत व असंतुष्ट होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

आधार निगरानी

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1213-पीबीआर/2017 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 22-4-2019 को आयुक्त न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	